

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 278/18 तारीख रज 23/01/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का बौचपुरी बनाम
 श्री रामजीलाल पुत्र मैती मैना जाति मैना निवासी साथपुर तहसील
मधवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 14/2/18

आज यह पत्रावली बमुकाम मधवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री रामजीलाल ने ग्राम साथपुर को भूमि ख.न. 202 रकबा 0.10 किस्म चारागाह फसल रबि / खसक संवत् 20 74 में गेहूँ कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव में कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 202 रकबा 0.10 किस्म चारागाह वाके ग्राम साथपुर से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 1.60 का 50 गुणा 80 रु. शस्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल गेहूँ को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट / निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[Signature]
 तहसीलदार
 तहसील-महवा (दौसा)
 तहसीलदार महवा

रजिस्टर म/घ क्र. पंज नं. 53 पर
 वर्ष 2017-18 की शक्ति
 की जमा 80 रु.
 दिनांक 5/3/18 तहसीलदार लेखाकार
 तहसील-महवा